[श्री प्रं० चं० बरुआ]

दिसम्बर, १९६२ तक २१९६ करोड़ रुपया विदेशी सहायता के रूप में उपलब्ध था जब कि केवल ६५२ करोड़ रुपये का ही प्रयोग किया गया। माननीय मंत्री कृपया बतलायें कि २० प्रतिशत विदेशी सहायता का प्रयोग क्यों नहीं किया गया ।

तृतीय योजना काल के लिये मुद्रास्फिति की सीमा हम ने ५५० करोड़ रखी थी परन्तु तीसरे वर्ष में ही ६१५ करोड़ की मुद्रा स्फीति हो चुकी है। मूल्य बढ़ने का यही कारण है ।

यह खेद की बात है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के १७ वर्ष पश्चात भी देश की ५० प्रतिशत जनता जीवन की मूल आवश्यकताओं से भी वंचित है । जनता का जीवन-स्तर ऊपर उठाने के लिये यह वांछनीय है कि कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया जाय।

हमें किसानों को भूमिका स्वामी बना कर उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये । दूसरे, उन्हें उपज का मूल्य उचित मिलना चाहिये । इस के अतिरिक्त, कृषि से संबंधित सरकारी विभागों में समन्वय की भावना होनी चाहिये । प्रशासनीय ढांचे में कुशलता होनी चाहिए ।

हमारा मुख्य उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना है चाहे वह उत्पादन सरकारी चाहे गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा बढ़ाया जाय। हम ने मिश्रित अर्थ व्यवस्था को स्वीकार किया है । इसलिये इन दोनों क्षेत्रों में भेद भाव नहीं होना चाहिये ।

वर्ष १९५१ से १९६१ तक राष्ट्रीय आय ३·५ प्रतिशत बढ़ी, परन्तु आसाम की दशा वैसी की वैसी रही । कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में भी आसाम अन्य देश की तुलना में पिछड़ा हुआ है । अत: इस प्रकार भेद भाव की नीति नहीं होनी चाहिए । आसाम में बाढ़ की समस्या वर्ष १९५० से भीषण रूप धारण कर रही है । इस की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, चाहे इस के लिए विदेशी सहायता ही क्यों न लेनी पड़े। इस के अतिरिक्त, आसाम राज्य में विद्युत् की बहुत कमी है । बेकारी बहुत है । स्थानीय लोगों के लिये कोई उद्योग भी नहीं है । चाय उद्योग में पहले आसाम के लोग ही काम करते थे। परन्तु स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् उस उद्योग में भी भर्ती बाहर से की जाती है । इन बातों के परिणामस्वरूप लोगों में सरकार पर निष्ठा कम हो रही है ।

†**प्रधान मन्त्री, वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं इस चर्चा का स्वागत करता हूं परन्तु कुछ सदस्यों ने जो दृष्टिकोण अपनाया उस से मुझे निराशा हुई है ।

कुछ सदस्यों ने आयोजन के सिद्धान्त के आधार पर ही आलोचना की। माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण अपना अपना हो सकता है यद्यपि मैं ऐसे दृष्टिकोण को निराधार और फिजूल समझता हूं ।

†**श्री रंगा (चित्तूर) :** हम तो आप के आयोजन के तरीके से असहमत हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** श्री मसानी ने कहा है कि योजना आयोग का होना ही लोकतंत्र की धारणा के विरुद्ध है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मी० रु० मसानी** : यह सच है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस का अर्थ यह हुआ कि आप आयोजन के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु आप नहीं चाहते कि आयोजन के लिये कोई एजैंसी हो ।

†**श्री मी० रु० मसानी** : एक मंत्रणा देने वाली विशेषज्ञों की एजैंसी होनी चाहिए ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : योजना आयोग एक सलाहकार एजैंसी ही तो है ।

†**श्री मी० रु० मसानी** : जी, नहीं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस के अलावा, श्री मसानी के भाषण से मैं ने बहुत कुछ सीखा है । यह इस कदर बेहूदा है, और आयोजन तथा प्रगति के विचारों को समझने में इस कदर गलती की गयी है कि मुझे हैरानगी होती है यह देख कर कि श्री मसानी जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसा भाषण दिया ।

अन्य बहुत से सदस्यों ने कुछ एक बातों के बारे में कहा है । हो सकता है उन के कथन प्रासंगिक और उपयोगी हो किन्तु इसका प्रयोजन सारे चित्र को देखना था । वास्तव में सारे चित्र को ही नहीं देखना बल्कि योजना के गत बारह वर्षों को देखना है और फिर इन २$^1/_2$ वर्षों पर कुछ अधिक गहन विचार करना है और फिर निर्णय करना है कि हमें क्या करना चाहिये ।

इस में संदेह नहीं कि कुछ मामलों में लक्ष्य प्राप्ति में हम विफल हुए हैं । इस में संदेह नहीं कि एक मामला जिस से हम सब का संबंध है कृषि का है । हमें उसका सुधार करना चाहिये । और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना चाहिये ।

योजना कार्य के बारह वर्ष हो गये हैं अर्थात् प्रथम और दूसरी योजना के बाद तीसरी योजना के २$^1/_2$ वर्ष बीत गये हैं । सामान्यत: यह देखना लाभदायक होगा कि सारे योजना काल में क्या हुआ है ?

पहली बात तो यह है कि इस काल में हम देश की उस आर्थिक प्रगतिहीनता को दूर करने में सफल हुए हैं जो भारत में ५० वर्ष से अधिक समय से फैली हुई थी । यह मामूली सफलता नहीं है । हमारी राष्ट्रीय एकता में ४२ प्रतिशत वृद्धि हुई है कृषि उत्पादन में ४१ प्रतिशत वृद्धि हुई है, खाद्य उत्पादन में ४६ प्रतिशत और औद्योगिक उत्पादन में ९४ प्रतिशत वृद्धि हुई है । सिंचाई, विद्युत्, और परिवहन का काफी विस्तार किया गया है । इस्पात कारखानों जिस पर श्री मसानी ने विशेष आपत्ति की है और जिसे वे राज्य के लिए दोषपूर्ण समझते हैं, और मशीन निर्माण कारखानों से औद्योगिक प्रगति की नींव रखी गई है । शिक्षा में और विशेषत: तकनीकी शिक्षा में तथा अन्य मामलों में विस्तार हुआ है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कई शाखाओं में प्रगति हुई है । हमारी जन सख्या में २१ प्रतिशत वृद्धि होने पर भी उपभोग का स्तर बढ़ा है । खाद्य उपभोग १८०० केलोरी से बढ़ कर २१०० केलोरी हो गया है । कपड़े का उपभोग ९ गज प्रति व्यक्ति से बढ़ कर १४$^1/_2$ गज प्रति व्यक्ति हो गया ह । हमारी स्वास्थ्य योजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है मलेरिया तो समाप्त ही कर दिया गया है । टाइफायड को बहुत कम कर दिया है । इस के परिणामस्वरूप

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मृत्यु दर बहुत कम हो गई है और आयु दर जो ४०वीं दशाब्दी में ३२ वर्ष थी ५० वर्ष हो गई है ।

ये विकास महत्वपूर्ण है और भारत की सी स्थिति वाले किसी विकासशील देशों में इस परिवर्तन और विकास की तुलना नहीं मिलती । किन्तु इस का वास्तविक महत्व इस बात में है कि यह भावी प्रगति का आधार है और इस से प्रगति अधिक तेजी से होगी ।

अतः इस ढाई वर्ष की अवधि को देखते हुए मैं सभा को स्मरण कराना चाहता हूं कि इस में से प्रायः आधा काल संकट काल का था । लगभग एक वर्ष में हमारे वित्त और हमारे कामों पर काफी भार पड़ा है । अतः हमें पूरे चित्र को समक्ष रखना चाहिये क्योंकि यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि चाहे योजना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है पांच वर्ष की योजना में सामान्य प्रगति का हिसाब इस प्रकार नहीं लगाया जा सकता कि योजना की प्रगति का पांचवां भाग पहले वर्ष में पूरा हो जाता हैं और दूसरा पांचवा भाग दूसरे वर्ष। सामान्य योजना के प्रारम्भ में नींव रखी जाती है किन्तु वास्तविक परिणाम का पता योजना की समाप्ति से पहले नहीं लगता । यह संभव है—मैं कह नहीं सकता कि क्या हो—कि योजना के बाकी दो वर्षों में काफी रास्ता तय हो जाए या न तय हो सके। अतः मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वे सारे योजना कार्य की वस्तुस्थिति पर ध्यान दें और संतुलित दृष्टि से विचार करें ।

मैं कह सकता हूं कि जो कुछ किया गया है उसे ध्यानपूर्वक देखने पर मैं स्वभावतः कई बातों से निराश होता हूं और अधिक विशेष रूप से कृषि से निराशा होती है । उसके कारण अलग बात है । किसी भी देश में चाहे वह विकसित हो या अविकसित कृषि सब से कठिन समस्या है । जैसा कि सभा को विदित है आज अधिकांश विकसित देश कृषिके संबंध में बहुत सी कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं । प्रत्येक अत्यधिक प्रगतिशील देश के सामने ये कठिनाइयां हैं । आप योजना आयोग, भारत सरकार, राज्य सरकारों और मुझे अपराधी ठहरा सकते हैं किन्तु अन्ततोगत्वा सारी बात किसान पर निर्भर करती है अतः प्रश्न यह है कि उसे पुरानी रूढ़ियों से निकाला जाए उसे प्रोत्साहन दिये जाएं सहायता दी जाए और उस में मानसिक परिवर्तन लाया जाए ।

सारे सामुदायिक विकास आंदोलन का उद्देश्य जिस की प्रायः आलोचना की जाती है, यही काम करना था और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनेक असफलताओं के होते हुए भी इस आन्दोलन ने वह कार्य काफी हद तक किया है और कर रहा है और इसी से अन्ततोगत्वा पंचायत राज्य की स्थापना हुई है जिसका फल तुरन्त नहीं मिल सकता किन्तु जो क्रांतिकारी आंदोलन है जिसका निस्संदेह अच्छा परिणाम निकलेगा ।

अतः जो अनेक प्रकार की आलोचनाएं की गई हैं मैं उन्हें नहीं लेना चाहता, किन्तु मुझे विश्वास है कि जो कुछ कहा गया है उस पर योजना आयोग और सरकार में इस कामको करने वाले ध्यान पूर्वक विचार करेंगे । अधिक विशेष रूप में, जैसा मैं ने कहा है, मुझे कृषि के संबंध में कुछ उपाय करने के बारे में कुछ चिन्ता है, किन्तु मैं इस प्रश्न के बारे में सामान्य दृष्टिकोण को लूंगा ।

इस वस्तुगत दृष्टिकोण के अलावा जिस पर विचार करने के लिये मैं सभा से अनुरोध करता हूं, मैं श्री मसानी के विशेष लाभ के लिए योजना-कार्य के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। योजना के बारे में बहुत समय से बहुत कुछ कहा गया है किन्तु अखिल भारतीय आधार इस का प्रथम साक्षात्कार १९३८ में राष्ट्रीय योजना समिति के रूप में हुआ था और उस समिति ने दो वर्ष काम किया था। श्री सुभाष चन्द्र बोस ने मुझे उस समिति का सभापति बनाया था। दुर्भाग्यवश उस समिति के कठिन काम के बावजूद सुगमता से काम नहीं कर सकी क्योंकि समय समय पर हम में से अधिकांश सदस्य जेल में चले जाते रहे। ब्रिटिश सरकार ने बाधा पैदा कर दी। तो भी उसने काफी उपयोगी काम किया था।

बाद में शीघ्र ही बम्बई योजना नाम की योजना आई जो देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने बनाई थी।. मुझे विश्वास है कि श्री मसानी को यह स्मरण होगा। वह योजना बड़ी दिलचस्प थी। उसे उन उद्योगपत्तियों ने बनाया था जिन के साथ श्री मसानी का घनिष्ट सम्बन्ध है। वे इस बात पर आपत्ति करते हैं कि हम भारी उद्योग और सरकारी क्षेत्र पर अधिक बल न दें। मैं बम्बई योजना में व्यक्त किये गये दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना चाहता हूं। उस में यह तर्क दिया गया था कि अधिक विकास के संबंध में साहसपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिये और भारी तथा मूल उद्योगों पर अधिक बल देना हीं चाहिये जैसे कृषि के अलावा विद्युत्, इंजन, इस्पात, और मशीन निर्माण कारखानों पर बल देना चाहिये। उन्हें अधिक विकास के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण समझा गया था। वास्तव में उस के अन्तर्गत योजना की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। निस्संदेह वे उन लोगों पर आपत्ति कर सकते हैं जो योजना बनाते हैं।

हमारी योजना की नीति इसी पर आधारित है। मैं कृषि के बारे में अधिक नहीं कहता क्योंकि हम स्वीकार करते हैं कि यह मूल चीज है और इसके विकास में सहायता करनी चाहिये। यद्यपि कृषि के परिणाम इतने प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु इसमें भी काफी प्रगति हुई है और किसानों की मनोवृत्ति में जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण इसमें प्रगति तेज हो जाएगी। हमने विद्युत् परिवहन और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में एक प्रकार का मूल ढांचा तैयार कर लिया है जिससे सहायता मिलेगी।

मुख्यत: यह आलोचना की गई है कि उद्योगों को उच्च प्राथमिकता दी गई है और सरकारी उद्योग क्षेत्र के कार्यों की भी आलोचना की गई है। बड़े बड़े उद्योगपतियों की बम्बई योजना में भी मूल उद्योगों पर बल दिया था जैसा कि इस प्रश्न पर विचार करने वाले हर व्यक्ति को करना चाहिये। वह राजनैतिक दृष्टिकोण ही है जिसमें स्थिति के तथ्यों की उपेक्षा की जाती है और सदस्यों को जिस बारे में अधिक स्पष्ट पता होना चाहिये उस बारे में भ्रम पैदा हो जाता है। सरकारी क्षेत्र के कार्यों का समर्थन भी मुझे नहीं करना है। यह बात कई बार सभा के समक्ष रखी गई है और उसने उसे स्वीकार किया है और इस सारी बात को पुन: लेना सभा के प्रति अशिष्टता होगी। योजना कैसे तैयार की जाती है, योजना आयोग इस पर विस्तारपूर्वक विचार करता है। आज वह चौथी योजना को तैयार कर रहा है जो कुछ वर्ष बाद आरम्भ होगी। वह सब राज्यों, अधिकारियों, मंत्रियों से परामर्श करता है उनके साथ विचारविमर्ष करता है और आखिर प्रारूप तैयार होता है और उस पर भली प्रकार विचार करने के बाद उसे राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष रखा जाता है जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। तत्पश्चात वह संसद् के समक्ष आता है, संभवत: दो बार आता है, पहले अन्तरिम प्रारूप के रूप में और फिर अन्तिम रूप में। फिर इसे स्वीकार किया जाता है। इस पर बार बार सभी स्तरों पर विचार किया जाता है। इस बात के अलावा कि हम चाहते हैं कि अन्तरिम योजना के प्रारूप

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पर पंचायती राज्य संगठन और विभिन्न योजना बोर्ड और योजना समितियां विचार करें, हम विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के लोगों से भी कहते हैं कि वे उस पर विचार करके सुझाव दें। इस प्रकार योजना बनाने में सार्वजनिक लोगों, विशेषज्ञों, विश्वविद्यालय के लोगों, छात्रों, वरिष्ठ छात्रों और ग्रामीण क्षेत्रों तथा पंचायतों का परामर्श लिया जाता है। इस पर भी लोगों का अधिक सहयोग पाने के लिए अधिक अच्छे उपाय किये जा सकते हैं। उन से जितना परामर्श लिया जाए उतना ही अधिक अच्छा है पर सभा यह अनुभव करेगी कि पहली योजना के बाद से जो योजनाएं तैयार की गई हैं वह आवश्यक है। यद्यपि सभा में कुछ लोग उसे राष्ट्रीय योजना कहना पसद नहीं करते। श्री मसानी ने हमें धमकी दी थी कि लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और हमें पदों से हटा देंगे लोग क्या करेंगे उसे हम देखें। किन्तु मैं विनम्रता पूर्वक यह सुझाव देना चाहता हूं कि अब या बाद में या कभी भी लोग मसानी के उपदेश का समर्थन नहीं करेंगे। माननीय सदस्य अपनी राय बता चुके हैं, मैं ने अपनी राय बताई। भारत के लोगों का मुझे भी कुछ ज्ञान है। मत यह है कि योजना को न केवल देश ने और संसद ने स्वीकार किया है बल्कि पूरी चर्चा के बाद बार बार स्वीकार किया है और इस अवसर पर इस मूलभूत बात पर आक्षेप करना अनुचित है। दूसरे योजना की नीति अच्छी है। हो सकता है बहुत सी गलतियां हुई हों किन्तु योजना आयोग के बिना काम नहीं चल सकता। मैं ने प्राय: इस की नौकरशाही प्रवृत्ति का विरोध किया है और मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि योजना आयोग ने जो काम किया है, उसकी मैं सदा प्रशंसा करता हूं। कुछ बातें कुछ सदस्यों की समझ से बाहर हैं।

†**श्री काशीराम गुप्त** (अलवर) : नौकरशाही और प्रशंसा साथ साथ कैसे हो सकती हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने नौकरशाही की वृद्धि कर्मचारियों की वृद्धि की आलोचना की है। किन्तु गत १२ वर्षों में योजना आयोग ने इन गलतियों के बावजूद और गलतियां तो हर एक से होती हैं—एक अत्यावश्यक कार्य किया है जिसके बिना हम प्रगति नहीं कर सकते थे। जैसा मेरे साथी वित्त मंत्री ने बताया था, हमारा शासन संघीय है और यह अनेक राज्यों को संगठित करने में सफल हुआ है और इसने एकीकृत योजना का निर्माण किया है। यदि योजना आयोग न होता तो केन्द्रीय सरकार अपना काम न कर सकती क्योंकि तुरन्त कठिनाइयां पैदा हो जातीं कि केन्द्रीय सरकार राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रही है। यह एक सलाहकार निकाय है। मैं इस बात को दोहराता हूं और राज्य तथा केन्द्र उन के पास पहुंचकर उनके साथ विचार विमर्ष कर सकते हैं। उन्होंने राज्यों के बारे में प्राय: जो भी बात कही है उस पर विचार करके और राज्यों के साथ सहमति के बाद कही है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : जब प्रधान मंत्री स्वयं आयोग के सभापति हैं तो यह सलाहकर निकाय नहीं हो सकता।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रधान मंत्री भी सलाह दे सकता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : नहीं आप तो उसे लागू करने वाले हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्री मसानी के दृष्टिकोण के अलावा योजना आयोग के बारे में दो दृष्टिकोण हैं, एक वर्ग कहता है कि योजना आयोग में केवल मंत्री होने चाहियें। श्री हनुमन्तैया ने, मेरा विचार है, यह कहा था कि इसमें केवल विशेषज्ञ होने चाहियें और कोई मंत्री नहीं होना

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि योजना आयोग केवल मंत्रियों का हो तो उससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। वह भली प्रकार काम नहीं कर सकता और इस बात के अलावा कि मंत्रियों के पास पहले ही बहुत काम होता है वे राज्यों के साथ उस प्रकार व्यवहार नहीं कर सकते जैसे योजना आयोग करता है। यदि केवल विशेषज्ञ हों तो यह संभव है किन्तु सरकार और विशेषज्ञों के बीच संबंध घनिष्ट नहीं होगा। इसलिए यह परामर्श दिया गया कि योजना आयोग में पूरा समय काम करने वाले लोग होने चाहियें और साथ ही दो तीन सदस्य मंत्रिमण्डल से होने चाहियें ताकि संबंध बना रहे ताकि वे बता सकें कि विभिन्न प्रस्तावों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी। किन्तु आवश्यक रूप से वे पूरा समय काम करने वाले सदस्य हैं जो कठिन श्रम करते हैं। मैं इसका सभापति रहा हूं। मुझे दो मास में एक बार वहां आमंत्रित किया जाता है ताकि नीति संबंधी बैठक में भाग ले सकूं तब मैं वहां जाता हूं। किन्तु नित्य प्रति की समस्या को मैं हल नहीं कर सकता न मेरे बस में है। योजना आयोग में कुछ सलाहकार, विशेषज्ञ और अन्य सदस्य हैं। हो सकता है कि वे अपने सलाहकारों की संख्या घटा दें या हो सकता है कि अधिक अच्छे लोगों को भर्ती किया जा सके। किन्तु हम तो सिद्धांतों पर विचार कर रहे हैं है न कि व्यक्तियों पर।

मैं समझता हूं कि सब से पहले तो योजना आयोग नितान्त आवश्यक है। मैं कहता हूं कि हम इसके बिना काम नहीं कर सकते और यदि कोई सरकार इसके बगैर काम करती है तो उसे विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। दूसरे योजना आयोग का जो स्वरूप इस समय है उससे सहायता मिलती है अर्थात कुछ लोग पूरा समय काम करने वाले हैं और कुछ मंत्री हैं जिनका उससे घनिष्ट संबंध है, यह स्थिति लाभदायक है। योजना आयोग के सारे प्रश्न पर पुनः विचार किया जा सकता है कि हम उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। हमारा विचार है कि हम समय समय पर उसका पुनर्विलोकन किया करें।

पहले उप-सभापति हमारे वर्तमान गृह मंत्री ने जो काम किया है मैं उसकी अभ्यर्थना करना चाहता हूं। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ इस कार्य को किया है और उनकी काम निष्ठा और व्यवहारिकता ने योजना आयोग को स्वरूप प्रदान किया है।

†**श्री मा० श्री अणे** : योजना आयोग में मंत्रियों का निश्चित काम क्या होता है? क्या जानकारी देना या विचार देना?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पूरा समय काम करने वाले सदस्यों के अलावा केवल मंत्रिमण्डल के सदस्य उसमें होते हैं। उनका काम भी अन्य सदस्यों जैसा ही है। वे अपने विचार रखते हैं या सुझाव देते हैं। सामान्यतः उनका काम मूल बातों तक सीमति होता है कि वे राज्य मंत्रियों के साथ बैठकर चर्चा नहीं करते जिस पर योजना आयोग का अधिकांश समय लग जाता है। वे अन्य सदस्यों की तरह समूचे योजना आयोग की चर्चा में भाग लेते हैं। स्पष्ट है कि वित्त संबंधी मामलों में वित्त मंत्री के विचारों का बहुत महत्व होता है किन्तु यह बहुत अच्छा नहीं कि योजना आयोग कोई ऐसा निर्णय करे जिसे वित्त मंत्री स्वीकार नहीं कर सकता या अमल में नहीं ला सकता।

अतः यह स्मरण रखना चाहिये कि योजना आयोग सलाहकार विकास है। किन्तु यह सच है कि चूंकि वह विशेषज्ञ निकाय है उसके परामर्श का बहुत महत्व होता है। राज्यों को वह जो सलाह देता है वह परामर्श ही होता है किन्तु उसका भी प्रभाव होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि योजना आयोग केवल मंत्रियों का हो तो उससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। वह भली प्रकार काम नहीं कर सकता और इस बात के अलावा कि मंत्रियों के पास पहले ही बहुत काम होता है वे राज्यों के साथ उस प्रकार व्यवहार नहीं कर सकते जैसे योजना आयोग करता है। यदि केवल विशेषज्ञ हों तो यह संभव है किन्तु सरकार और विशेषज्ञों के बीच संबंध घनिष्ट नहीं होगा। इसलिए यह परामर्श दिया गया कि योजना आयोग में पूरा समय काम करने वाले लोग होने चाहियें और साथ ही दो तीन सदस्य मंत्रिमण्डल से होने चाहियें ताकि संबंध बना रहे ताकि वे बता सकें कि विभिन्न प्रस्तावों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी। किन्तु आवश्यक रूप से वे पूरा समय काम करने वाले सदस्य हैं जो कठिन श्रम करते हैं। मैं इसका सभापति रहा हूं। मुझे दो मास में एक बार वहां आमंत्रित किया जाता है ताकि नीति संबंधी बैठक में भाग ले सकूं तब मैं वहां जाता हूं। किन्तु नित्य प्रति की समस्या को मैं हल नहीं कर सकता न मेरे बस में है। योजना आयोग में कुछ सलाहकार, विशेषज्ञ और अन्य सदस्य हैं। हो सकता है कि वे अपने सलाहकारों की संख्या घटा दें या हो सकता है कि अधिक अच्छे लोगों को भर्ती किया जा सके। किन्तु हम तो सिद्धांतों पर विचार कर रहे हैं है न कि व्यक्तियों पर।

मैं समझता हूं कि सब से पहले तो योजना आयोग नितान्त आवश्यक है। मैं कहता हूं कि हम इसके बिना काम नहीं कर सकते और यदि कोई सरकार इसके बगैर काम करती है तो उसे विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। दूसरे योजना आयोग का जो स्वरूप इस समय है उससे सहायता मिलती है अर्थात कुछ लोग पूरा समय काम करने वाले हैं और कुछ मंत्री हैं जिनका उससे घनिष्ट संबंध है, यह स्थिति लाभदायक है। योजना आयोग के सारे प्रश्न पर पुनः विचार किया जा सकता है कि हम उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। हमारा विचार है कि हम समय समय पर उसका पुर्नविलोकन किया करें।

पहले उप-सभापति हमारे वर्तमान गृह मंत्री ने जो काम किया है मैं उसकी अभ्यर्थना करना चाहता हूं। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ इस कार्य को किया है और उनकी काम निष्ठा और व्यवहारिकता ने योजना आयोग को स्वरूप प्रदान किया है।

†**श्री मा० श्री अणे** : योजना आयोग में मंत्रियों का निश्चित काम क्या होता है? क्या जानकारी देना या विचार देना ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पूरा समय काम करने वाले सदस्यों के अलावा केवल मंत्रिमण्डल के सदस्य उसमें होते हैं। उनका काम भी अन्य सदस्यों जैसा ही है। वे अपने विचार रखते हैं या सुझाव देते हैं। सामान्यतः उनका काम मूल बातों तक सीमति होता है कि वे राज्य मंत्रियों के साथ बैठकर चर्चा नहीं करते जिस पर योजना आयोग का अधिकांश समय लग जाता है। वे अन्य सदस्यों की तरह समूचे योजना आयोग की चर्चा में भाग लेते हैं। स्पष्ट है कि वित्त संबंधी मामलों में वित्त मंत्री के विचारों का बहुत महत्व होता है किन्तु यह बहुत अच्छा नहीं कि योजना आयोग कोई ऐसा निर्णय करे जिसे वित्त मंत्री स्वीकार नहीं कर सकता या अमल में नहीं ला सकता।

अतः यह स्मरण रखना चाहिये कि योजना आयोग सलाहकार विकास है। किन्तु यह सच है कि चूंकि वह विशेषज्ञ निकाय है उसके परामर्श का बहुत महत्व होता है। राज्यों को वह जो सलाह देता है वह परामर्श ही होता है किन्तु उसका भी प्रभाव होता है।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस में भी मैं एक बात की ओर संकेत करना चाहता हूं। यदि आप योजना बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिये कि आप किस प्रयोजन के लिए योजना बना रहे हैं और किन लोगों के लिए योजना बना रहे हैं। आप के सामने भविष्य का एक चित्र होना चाहिये। कुछ लोग जो आलोचना करते हैं उनके समक्ष संभवतः आज का चित्र होता है जिसमें शनैः शनै जहां वहां कुछ सुधार हुआ है ऊपरी स्तर के लोग ऊपर बने रहते हैं और निचली स्तर के लोग कुछ थोड़ी बहुत सुविधाओं के साथ नीचे ही रहते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि भविष्य के बारे में अपनी कल्पना क्या है। निस्संदेह हम सामान्यतः कहते हैं कि हम अपने लोगों के लिए अच्छा जीवन चाहते हैं। किन्तु यह एक अस्पष्ट सी बात है जिस पर हर व्यक्ति सहमत हो जाएगा। किन्तु यदि आप इस पर विचार करें तो आप समाजवादी ढांचे के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे मैं तो उसे ही समझता हूं और मेरा विचार है कि आपमें से अधिकांश भी यही समझते हैं। समाजवाद भी अन्य अनेक शब्दों की तरह अस्पष्ट हो गया है। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि आज भी कुछ पूंजीवादी देश समाजवाद का उल्लेख अपने अर्थों में करते हैं। श्री मसानी भी किसी प्रकार के समाजवाद की बात कहते हैं जिसमें वर्तमान व्यवस्था बनी रहेगी। इस लिए हमें मोटे तौर पर यह कहना है कि समाजवादी राज्य की स्थापना के लिए योजना बनाते हैं। हम इस लिए योजना बनाते हैं कि भारत में हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो और यह सब लोकतंत्र के ढांचे में ही उपलब्ध करना चाहते हैं। इस बीच में स्वभावतः मुख्य समस्याएं यह हैं कि उत्पादन बढ़ाया जाए तब ही लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है और वितरण का ध्यान रखना है बल्कि कुछ लोगों के हाथ में अधिक संग्रह न हो और अन्य लोग अभावग्रस्त न रह जाएं। ये मुख्य दृष्टिकोण है। हमारा सम्बन्ध समाजवाद के सिद्धान्तों से नहीं है। किन्तु ये मुख्य दृष्टिकोण समाजवाद के लिए अपेक्षित हैं। इन्हें विश्व के बड़े भाग में आज स्वीकर किया जाता है और पूंजीवादी भी स्वीकार करते हैं और कोई भी विकासशील देश ऐसा नहीं जो इसे स्वीकार न करता हो। यह अनिवार्य है। अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि पूंजीवाद के सामान्य दृष्टिकोण को अपनाया जाए तो उससे हम कहीं नहीं पहुंच पायेंगे यह बात मैं सभा के समक्ष पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं।

अतः हमने मिश्रित व्यवस्था को स्वीकार किया है। हमारे पास गैर सरकारी और सरकारी उद्योग क्षेत्र हैं और सरकारी उद्योग क्षेत्र का आर्थिक नीति पर प्रभुत्व है। अन्यथा ऐसा सरकारी क्षेत्र जो गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता करता हो रखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि हम हर प्रकार का उत्पादन चाहते हैं। हमारी अर्थ-व्यवस्था में गैर-सरकारी क्षेत्र क्या है? हमारी भूमि गैर-सरकारी क्षेत्र है। यह बहुत बड़ा कार्य है। सभी छोटे उद्योग गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र में हैं। सारा विरोध और विरोध नहीं बल्कि सादा प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है कि कुछ मूल उद्योग गैर सरकारी क्षेत्र में हैं और वे और उद्योग चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वे अधिक मुनाफा कमा सकें बल्कि इसलिए कि हम आर्थिक शक्ति दें। मैं समझता हूं कि यह बहुत आपत्तिजनक है और इसे नहीं होने देना चाहिये कि आर्थिक शक्ति थोड़े से लोगों के हाथ में हो चाहे वे कितने भी अच्छे और योग्य क्यों न हों। मोटे तौर पर यह हमारा रुख हैं। यदि आप इस दृष्टिकोण से योजना आयोग को देखें तो उसे गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने और संग्रह को रोकने के प्रश्न को हल करना होता है। इस काम को उन्होंने प्रभावी ढंग से नहीं किया। मैं यह स्वीकार करता हूं। आशा करता हूं कि वे

भविष्य में इसे प्रभावी ढंग से करेंगे और हमारी सरकार भी अधिक प्रभावी ढंग से इसे करेगी चाहे विरोधी पक्ष की ओर से कैसी भी कठिनाइयां पैदा की जाएं ।

इस प्रतिवदन में भी सदस्यों ने असफलता पर अधिक बल दिया है । आज के प्रश्न के बारे में श्री मसानी का दृष्टिकोण बहुत निराशापूर्ण है ।

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि किसी जमाने में श्री मसानी श्री नेहरू के सब से अच्छे दोस्त और अनुयायी थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** श्री मसानी जल्दी जल्दी बदलना जानते हैं ।

†**श्री मी० रु० मसानी :** समय के साथ बदलना चाहिये केवल अतीत में ही तो रहा नहीं जा सकता ।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** ठीक है हम जो आयोजन कर रहे हैं, वह काफी देर से चल रहा है, केवल २$^1/_2$ वर्ष से ही नहीं चल रहा । एक प्रकार का ढांचा बना है । इसके आधार पर हम विद्युत्, परिवहन, तथा तकनीकी प्रवीणता की दिशा में प्रगति कर सकते हैं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इससे अच्छा बातावरण निर्माण हुआ है । गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी जो विकास हुआ है वह इस से पूर्व नहीं हुआ था । कारण यही है कि इसमें कुछ विश्वस्त चीजें हैं, जिनसे बाद में कुछ लाभ ही रहता है ।

हमने गत २$^1/_2$ वर्षों में जो कुछ असफलतायें की हैं उन पर हमने बल दिया है और अभी हाल के लिए सफलतायें की उपेक्षा कर दी है । कृषि की दिशा में हम असफल र हैं । कुछ हमारा दोष है कुछ प्राकृतिक कारणों का । कुछ भी हो हमें कृषि की ओर विशष ध्यान देना है । योजना आयोग के पिछले उप सभापति ने बहुत अच्छा काम किया है और आशा करनी चाहिये कि नये उपसभापति भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे, मैं उनका स्वागत करता हूं ।

आज जो वातावरण चल रहा है, उसमें स्वतंत्र उपक्रय नहीं चल सकता । विशेषकर उस हालत में जब लाखों ही लोगों के पास रोजगार और उन्नति का कोई साधन न हो । हम बड़ी तेजी से बदलने वाली दुनिया में रह रहे हैं, और हमें भी उसी तेजी से अपने सामाजिक ढांचे को बदलना है । हमें अपनी सामाजिक आदतों तथा रीतियों को बदलना है । यह सब हमारी प्रगति के रास्ते में रुकावट है । ४५०० लाख लोगों की आदतें बदल डालना कुछ छोटा काम नहीं है । परन्तु इन वर्षों में आयोजन हुआ है । औद्योगिक विकास और सामुदारिक विकास की दिशा में हमें कुछ सफलतायें प्राप्त हुई हैं ।

भ्रष्टाचार की बात है, ठीक है, परन्तु इस बारे में कुछ बात बढ़ा चढ़ा कर ही की जाती हैं । मैं इसका औचित्य सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करता । परन्तु हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों का व्यवहार कुछ देश भर में निराशा का वातावरण निर्माण करना है, हम जो महान कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हमें जन सराहना तथा जन समर्थन की आवश्यकता है । यदि हम स्वयं ही विकृत रहेंगे तो अन्य लोगों में क्या आशा तथा प्रकाश का निर्माण कर सकेंगे । हमें अपने विकृत दृष्टिकोण को बदलना है । हम एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अपूर्व और अद्वितीय है । मानव इतिहास में ऐसे कार्य बहुत ही कम हुए हैं । अंग्रेजों के चले जाने के बाद कार्य बहुत ही निम्नस्तर से प्रारम्भ किया गया था । हमें बहुत परम्परायें तोड़नी पड़ी, बहुत कुछ बदलना पड़ा । और हम तेजी से बदल रहे हैं । हमें अल्प आय और दयनीय गरीबी से लड़ना हैं । २० वर्ष पूर्व बम्बई योजना के बारे में एक बहुत बड़ उद्योगपति ने लिखा था :

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

"औद्योगिक विकास की प्रस्थापनायें बहुत महत्वपूर्ण है। आरम्भ में हमें केवल उद्योग निर्माण करने तथा विद्युत् तथा मशीनरी इत्यादि के निर्माण की ओर ध्यान देना चाहिये। इन मलभत उद्योगों के अभाव में ही भारत की औद्योगिक प्रगति रुकी हुई रही है। इस कमी को जितनी भी शीघ्रता से पूरा किया जाय अच्छा है। हमारा औद्योगिक विकास तो होगा ही साथ ही हमारा विदेशों पर बहुत सी बातों के लिए निर्भर रहना भी कम हो जायेगा। इस तरह बहुत सा धन बाहर जाने से बच जायगा।"

मुझे आशा करनी चाहिये कि विरोधी पक्ष के स्वतन्त्रपार्टी के सदस्य इस बात पर विचार करेंगे, योजना का कार्य तो निरन्तर होता है। जो कुछ आज किया जाता है, उसका परिणाम बाद में निकलता है अतः इस बारे में लक्ष्य प्राप्ति का निर्णय एक ही वर्ष के परिणामों के आधार पर नहीं हो सकता। अवश्यकता तो इस बात की होनी है कि प्रति प्राविधिक संस्थाओं को तथा परियोजनाओं का कार्यान्वियन तथा विचार आयोजन मजबूत किये जाने चाहिये। हमारी पिछली असफलता का कारण ही यह है कि हमारी परियोजनाओं का प्रविधिक परीक्षण नहीं किया गया। अब हम कुछ सीमा तक उसे कर रहे हैं। इसलिए भी कि हम चौथी योजना का प्रारूप तैयार कर रहे हैं और इस सारे काम को बहुत ही सोच समझ कर किया जाना है। हर छोटी से छोटी बात की छानबीन करना है। हर परियोजना की बातें सोची जानी है। हमें कुछ सबक सीखना है और सुधार करना है। राज्यों में योजना के कार्य को सुधारना है। मैं सदन का ध्यान इस भावी आयोजन की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं। और हमें उस सब कुछ को देखना है।

श्री अजित प्रसाद जैन ने विशेषरूप से परिवार नियोजन की चर्चा की है। इस बारे में इस प्रतिवेदन में २ पृष्ठ दिये हैं। मैं इसके पक्ष में हूं कि परिवार नियोजन हो। परन्तु इसके लिए दस, बीस अथवा १०० पृष्ठ खर्च किये जाते, इस बात को मैं समझ नहीं पाया। आजकल विज्ञान भवन में एक सम्मेलन हो रहा है जिसका मैंने कल उद्घाटन किया। यह एशिया भर का प्रथम जनसंख्या सम्मेलन है जो इस तरह से हो रहा है। जिसके समक्ष जनसंख्या की समस्या है। इस मामले में एशिया भर में जापान के बाद कुछ प्रथम प्रयत्न करने का श्रय भारत को है। यही कारण है कि यह सम्मेलन भारत में हुआ य लोग जानना चाहते हैं कि हमने इस दिशा में क्या किया है और किस सीमा तक हम इसमें सफल हुए हैं। मेरे विचार में हमने इस विषय में काफी प्रगति की है। वैसे प्रगति का अनुमान इस देश में तुरन्त नहीं लगाया जा सकता है। जहां कि व्यापक जनसंख्या के कारण इस बारे में पता कुछ बरस बाद ही चल सकता है।

†**श्री कर्णी सिंह** (बीकानेर) : क्या यह परिवार नियोजन का सन्देश जनता तक पहुंच गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने कहा न कि देश बड़ा व्यापक है। कई मामले केवल कुछ लोगों तक ही पहुंच पाते हैं। अन्ततोगत्वा यह मामला लोगों की शिक्षा के साथ सम्बन्धित है। और इसका सन्देश जनता के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिये। इस के लिये शिक्षा और आर्थिक स्तर को विकसित करना जरूरी है। वैसे इस मामले में काफी अनुसन्धान किया गया है। हमने किया है और अमरीका की रोकफैलर फाउन्डशन ने भी किया है। कुछ अन्य देशों में भी हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे यदि निराशा हुई है तो वह कृषि है। इस बारे में हमें अधिकतम श्रम करना चाहिये। फिर भी मेरा विचार है कि जो कुछ किया गया है उसका परिणाम अवश्य बहुत अच्छा होगा। मैं निराश नहीं हूं परन्तु कठिनाइयों का सामना तो करना ही होगा। ऐसी कठिनाइयां जो पहले कभी न आई हों, वे आयेंगी। काफी लोगों को योजना से लाभ हुआ है परन्तु असंख्य ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लाभ नहीं हुआ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि उन्हें भी लाभ हो। यह कई बातें सिद्धान्त रूप में तो अच्छी लगती है परन्तु उन को कार्यान्वित किया जाना सम्भव नहीं होता। हमें इस प्रकार उत्पादन की व्यवस्था करनी चाहियें कि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। हमें ऐसे स्थानों पर कारखाने लगाने चाहियें जहां उत्पादन अधिक हो। यदि एक स्थान पर सुविधा से अधिक उत्पादन होता है तो वहां और भी कारखानों की व्यवस्था हो सकती है।

यद्यपि मैं मशीनों का प्रशंक हूं, और चाहता हूं कि देश के लोग मशीनी टकनीक में आगे बढ़ें, फिर भी मुझे इस समस्या पर विचार करते हुए महात्मा गांधी जी की याद आती है। बात यह है कि देश के लोगों को इस ओर लाने में कुछ समय लगेगा। ऐसे कुछ साधन अपनाने होंगे जिस से कि हमारे देश के गरीब लोगों का कुछ बने। गरीबी में कुछ तबदीली आये जो कि बरसों से उन्हें खाये जा रही है। कृषि उत्पादन की वृद्धि की दृष्टि से हमें और भी कई दिशाओं की ओर देखना होता है। पशु पालन की भी बात है। छोटे उद्योग भी खोले जा सकते हैं। और भी जो कुछ किया जा सकता है किया जायगा। मुझे आशा है कि सदन इस प्रश्न के व्यापक महत्व को समझेगा जो कि उस के सामने हैं। हमें इसे हल करना है, निराशा में आकर नहीं, परन्तु पूरे विश्वास के साथ। अपनी क्षमता और अपने लोगों में पूरा विश्वास कर के। जो प्रतिवेदन सामने आया है उस से हमें कुछ सीखने का यत्न करना चाहिये। देखना चाहिये कि आयोजन कार्य ो किस प्रकार हम सुधार सकते हैं। एक बात हमें याद रखनी चाहिये कि यदि हम अपेक्षित प्रगति की ओर बढ़ना चाहते हैं तो यह आयोजन के बिना सम्भव नहीं हो सकता।

†**श्री रंगा** (चित्तूर): प्रधान मंत्री का भाषण बहुत ही निराशाजनक है। उन्होंने निरुत्साह होने की बात कही है, मैं निराश होने की बात कर रहा हूं।

[**श्री तिरूमल राव** पीठासीन हुए।]

प्रधान मंत्री, बिना किसी की बात सुने, अन्धाधुन्ध अपने रास्ते चले जा रहे हैं। वह हम पर आलोचना करते हैं, परन्तु जब हम कुछ कहते हैं तो नाराज हो जाते हैं। वह काफी देर से सत्तारूढ़ हैं, और जब हम साथ साथ थे तो वह स्वयं ही कहा करते थे कि बहुत देर सत्तारूढ़ रहने से मनुष्य को सत्ता रोग हो जाता है। यह बात उन्होंने लार्ड एक्टन से लीं है। आज वह इस सत्ता रोग के प्रभाव में है और किसी की सुनने के लिय तैयार नहीं,

स्वतन्त्र पार्टी भी देश का विकास चाहती है, यह पूंजी वस्तु उद्योग, संगठित उपभोवता वस्तु उद्योग तथा ग्राम उद्योगों के समान विकास के पक्ष में है। यह चाहती है कि भारी तथा बुनियादी उद्योगों की तुलना में कृषि, कुटीर उद्योग तथा संगठित छोटे पैमाने के उद्योगों को, जो उपभोक्ता वस्तुयें पैदा करते हैं प्राथमिकता दी जाय। यह कम आय वाले व्यक्तियों को खुश देखना चाहती है।

हम रूसी तरीके पर ऊपर से आयोजन करने के वर्तमान तरीके का विरोध करते हैं। हमारे लक्ष्य न प्राप्त कर सकने का यही कारण है। गैर-सरकारी उद्योगों पर लगाये गये प्रतिबंध का हम कड़ा विरोध करते हैं जो सत्तारूढ़ दल की जड़ें मजबूत करने के उद्देश्य से लगाय गय हैं। स्व तन्त्र पार्टी

†मूल अंग्रेजी में